निर्वाचन आवश्यक/फैक्स/ई.मेल

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक- 592/रा.नि.आ.-2/925/2008

दिनांक 27/05/2014

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग-2 देहरादूनः

विषयः- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावी किया जाना।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की **अधिसूचना संख्या-580/रा0नि0आ0-2/925/2008 दिनांक 27 मई, 2014** को जारी होने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोडकर) **आदर्श आचरण संहिता आज दिनांक 27.05.2014 से प्रभावी** होकर परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।

अतः उपरोक्त के अनुकम में अपने स्तर से सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः- 592/रा0नि0आ0अनु0-2/925/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
4. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

27/5/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष /2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945